

न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला-राजसूरी

प्रकरण : संख्या - 12/2020 शीर्षक ...व्यक्तितादेवी..... बनाम ...कालुश्री.....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
22/11/20	वादी/प्रतिवादी/अधिवक्तागण उपस्थित/ पीठासीन अधिकारी राजकार्य से भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्ण आदेश की पालना में दिनांक.....को पेश है। 31/11/20
	आज्ञा से &
23/11/20	वादी/प्रतिवादी/अधिवक्तागण उपस्थित/ पीठासीन अधिकारी राजकार्य से भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्ण आदेश की पालना में दिनांक.....को पेश है।
	आज्ञा से
24/11/20	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधि-उप-वादीगण अधि-ने उपस्थित थे प्रकरण में उपस्थित के वादीगणों के से मोठ प्रेषण किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही होप की जाती है। पत्रावली केवल सुधार हे नामक से कम की जावे।
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी) </div>

50/11/20
 पत्रकारान के
 वाजीनाम होने
 वाद पर-Not
 Press में
 रिवाज फर्माया
 जावे।
 Chawand Sy
 Adv P